22.07.2016

C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XVIII, Ninth Session, 2016/1938 (Saka)
No. 5, Friday, July 22, 2016/Ashadha 31, 1938 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
[e]Starred Question Nos. 81 to 100	7-69
Unstarred Question Nos. 921 to 1150	70-586

[e] Due to interruptions in the House, Starred Questions could not be taken up for oral answers. Therefore, Starred Questions were treated as Unstarred Questions.

22.07.2016

PAPERS LAID ON THE TABLE 588-590

JOINT COMMITTEE ON ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST AND RECOVERY OF DEBTS LAWS AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (AMENDMENT) BILL, 2016

(i) Report 591

(ii) Evidence 591

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 31st Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Planning

Rao Inderjit Singh 592

BUSINESS OF THE HOUSE 593-604

MOTION RE: REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (SECOND AMENDMENT) BILL, 2015 -- EXTENSION OF TIME 605

OBSERVATION BY THE SPEAKER 606-610

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 611

Member-wise Index to Unstarred Questions 612-616

i

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 617

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 618

22.07.2016

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, July 22, 2016/Ashadha 31, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

i

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह क्या है? मैं नहीं समझ पा रही हूँ।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: What is it?

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please don't show the paper.

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please tell me what is happening.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किरीट जी, बोलिए।

…(व्यवधान)

11.01 hours

At this stage, Shri Kaushlendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, भगवंत सिंह मान ने जिस प्रकार से वीडियो अपलोड कर के संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, …(व्यवधान) उनकी सदस्यता भंग होनी चाहिए। …(व्यवधान) भगवंत सिंह मान के खिलाफ मैंने प्रिवलेज मोशन दिया है, उसको आप एडमिट कीजिए। …(व्यवधान) उन्होंने अंदर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का वीडियो अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया है। …(व्यवधान)

i

माननीय अध्यक्ष : आर.के. सिंह जी, बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री आर.के.सिंह (आरा) : अध्यक्ष महोदया, संसद सदस्य श्री भगवंत मान ने सभी संसद सदस्यों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। ...(व्यवधान) उन्होंने संसद की सुरक्षा को खतरे में डाला है। ...(व्यवधान) मैडम, इससे बड़ा ब्रीच ऑफ प्रिवलेज कोई नहीं हो सकता है। मैडम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर एक ब्रीच ऑफ प्रिवलेज मोशन चलाया जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि I will allow you in `Zero Hour'. I have received notices.

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This is not the way. मैं शून्य काल में बोलने का मौका दूंगी।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 noon.

11.03 hours

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

---

i

12.00 hours

The Lok Sabha reassembled at Twelve of the Clock.

*(*Hon. Speaker *in the chair)*

…(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदया, यह बहुत गम्भीर मामला है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया, अपनी जगह पर जाइए।

…(व्यवधान)

12.01hours

At this stage Shri Kaushlendra Kumar, Shri Dharmendra Yadav, Shir Shailesh Kumar and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बाद में बोलने का मौका दे दूँगी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं मानती हूँ, आपको कभी मौका दूँगी।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now Papers laid on the Table of the House.

… (*Interruptions*)

i

12.01 ½ hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज) : महोदया, श्रीमती मेनका संजय गांधी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :-

(1) (एक) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4900/16/16]

(3) (एक) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4901/16/16]

(5) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

i

[Placed in Library, See No. LT 4902/16/16]

(7) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4903/16/16]

(9) सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4904/16/16]

… (*Interruptions*)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): महोदया, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4905/16/16]

… (*Interruptions*)

i

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay on the Table a copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Reports and Audited Accounts of the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited for the year 2014-2015 within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year.

[Placed in Library, See No. LT 4906/16/16]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.)): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 25 Press Council Act, 1978:-

(1) The Press Council (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 377(E) in Gazette of India dated 31st March, 2016.

(2) The Press Council (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 466(E) in Gazette of India dated 28th April, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4907/16/16]

… (*Interruptions*)

i

22.07.2016

<u>12.02 hours</u>

JOINT COMMITTEE ON ENFORCEMENT OF SECUIRTY INTEREST AND RECOVERY OF DEBTS LAWS AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (AMENDMENT) BILL, 2016

(i) Report

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): I beg to present the Report of the Joint Committee on the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 2016.

… (*Interruptions*)

(ii) Evidence

SHRI NISHIKANT DUBEY : I beg to lay on the Table a copy of the record of evidence given before the Joint Committee on the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 2016.

… (*Interruptions*)

i

12.03 hours

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 31st Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Planning*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (RAO INDERJIT SINGH): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 31st Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Planning.

… (*Interruptions*)

i

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4908/16/16

<u>12.03 ½ hours</u>

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): With your permission, Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 25th July, 2016 will consist of:

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper;
2. Consideration and Passing of the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, 2015;
3. Consideration and passing of the Citizenship (Amendment) Bill, 2016;
4. Consideration and Passing of the High Courts (Alteration of Names) Bill, 2016;
5. Consideration and agreeing to the amendments made by Rajya Sabha in the Enemy Property (Amendment and Validation) Bill, 2016, as passed by Lok Sabha, after it is passed by Rajya Sabha; and
6. Consideration of Resolution seeking approval of the recommendations contained in Paras 5,6,9,11,12,13,14,15,16,17,18 and 19 of the First Report of Railway Convention Committee (2014), appointed to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues and other ancillary matters, which was presented to both the Houses of Parliament on 22 December, 2015.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इसके ऊपर जो सबमिशंस हैं, hon. Members, please lay the submissions on the Table of the House.

… (*Interruptions*)

[*]श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित दो विषयों को सम्मिलित किया जाएः-

1. देश के मौजूदा संघीय ढांचे की वजह से देश के विकास में बाधा उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप देश का तीव्रगामी विकास नहीं हो पा रहा है । अतः देश के संघीय ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है । देश के संघीय ढांचे को और अधिक सुदृढ़ और सशक्त बनाए जाने से संबंधित विषय ।

2. देश के रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास स्थित निर्मित आवासीय भवनों के पुनर्निमाण के लिए रक्षा विभाग से एन0ओ0सी0 लिए जाने से संबंधित जारी किए गए सर्कुलर एवं गाईडलाईंस को तत्काल प्रभाव से वापिस लिए जाने से संबंधित विषय ।

---

[*] Laid on the Table.

[*]**श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा)** : मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं:-

1. देश में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम करती रहती हैं। इन कंपनियों के कंपनी अधिनियम के तहत Corportate Social Responsibility (CSR) मद के तहत विभिन्न सामाजिक एवं विकास के कार्य करवाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं लेकिन यह देखने में आया है कि कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. मद की पूरी राशि खर्च नहीं की जाती है। अतः सी.एस.आर मद की राशि का पूर्ण खर्च करने एवं कार्यों की समीक्षा के विषय पर चर्चा को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

2. देश में सिंचाई के लिए कुएं, नलकूप, नहर, तालाब एवं वर्षा आदि प्रमुख साधन हैं। कई राज्यों में वर्षों सेसिंचाई परियोजनाएं, बांध निर्माण योजना लंबित पड़ी हुई है। लंबित योजनाओं में भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, धनराशि का अभाव, राज्यों में बंटवारें आदि कई कारण हैं, जिन पर संसद में चर्चा करके कानून बनाकर सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है जिससे देश के किसान खेती कर सकें। अतः इन विषयों को आगामी सप्ताह में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

---

[*] Laid on the Table.

*__श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा)__ : मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल कराने की कृपा करें:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चलने वाली चित्रकूट-कानपुर इंटरसिटी ट्रेन को कानपुर से लखनऊ तक कई बार आग्रह व क्षेत्रीय जनता की मांग के बावजूद नहीं बढ़ाया गया है, अस्तु इस विषय पर सदन में चर्चा कराकर उसे कानपुर से बढ़ाकर लखनऊ जो राजधानी है, प्रदेश की, बढ़ाया जाए।

2. चित्रकूट धाम देश का प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है फिर भी वहां देवागंना घाटी स्थित हवाई अड्डे को केंद्र सरकार की पुराने हवाई अड्डों की पुनरूद्धार योजना में शामिल नहीं किया गया है, अस्तु आपसे अनुरोध है कि उक्त विषय को सदन में चर्चा कराकर चित्रकूट धाम की हवाई पट्टी को भी केंद्र सरकार की पुनरूद्धार योजना में शामिल कर हवाई यात्राएं शुरू कराई जाएं।

* Laid on the Table.

***श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) :** मैं अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही के लिए निम्नलिखित विषय को एजेन्डे में जोड़ा जाए। यह विषय मेरे पिछड़े क्षेत्र के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है:-

1. 2012-13 वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत प्रमुख जिला मार्ग क्रमांक 78/टी09, हनुमंतमाड से भक्तिनगर सड़क ता. सुरगण। क्रमांक 6/045, भारत निर्माण, पैकेज क्रमांक 2065 के अंतर्गत कार्य मंजूर किया गया था, परंतु ये कार्य लगभग दो साल से लंबित चल रहा है। इस सड़क निर्माण कार्य को 19 मार्च, 2013 से 18 सितम्बर, 2014 के बीच पूरा किया जाना था। उक्त कार्य को 31 दिसम्बर से पूर्व पूरा किए जाने का कार्य किया जाए।

2. मेरा गृह राज्य महाराष्ट्र विगत कई सालों से सूखा की समस्या को झेल रहा है। सिंचाई से लेकर पेयजल की समस्या प्रतिदिन भयंकर होती जा रही है, खेतों को पानी नहीं मिलना, पशुओं को पानी नहीं मिलना, लोगों को पेयजल नहीं मिलने से पूरे महाराष्ट्र के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। किसान के खेतों में फसल पानी के अभाव में सूखने से किसान बैंकों से लिए गए ऋण की अदायगी नहीं कर पाने से महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र दिंडोरी के आस पास के क्षेत्रों में स्थित भातसा डैम, वैतरणा डैम एवं ताणसा डैम है, जिनका पानी पूरा मुम्बई को जा रहा है। अगर महाराष्ट्र के समुद्री तटों पर समुंद्री पानी को पेयजल में परिवर्तित करने के आधुनिक प्लांट मुंबई में लगाए जाएं और इससे मिलने वाले पानी को मुम्बई में वितरित किया जाए और मेरे उपरोक्त डैमों का पानी उत्तरी महाराष्ट्र के लिए प्रयोग किए जाने का कार्य किया जाए जिससे कुछ हद तक सूखा का सामना किया जा सके।

---

* Laid on the Table.

***श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर):** निवेदन है कि संसद की आगामी सप्ताह की संसदीय कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाये ।

1. जयपुर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता ।

2. उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा प्रदेश की सरकारों को यमुना जल का अनधिकृत दोहन रोकने हेतु निर्देशित करने की आवश्यकता ताकि राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा यमुना जल प्राप्त हो सके ।

* Laid on the Table.

***श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) :** अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय जोड़े जायें-

1. देश में सम्पूर्ण खेल नीति के साथ साथ खेल कानून बनाये जाने की जरूरत है ताकि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं के शरीर सौष्ठव को बचाने में मदद मिल सके और देश दुनियाँ में अपना सम्मनजनक स्थान बना सके ।

2. जनसंख्या के बढ़ने की दर गंभीर संकट है अतः जनसंख्या नियंत्रण का एक मात्र विकल्प है "समान नागरिक कानून संहिता" सरकार अतिशीघ्र सदन के समक्ष कानून के रूप में लाये ।

---

* Laid on the Table.

[*]**श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर)** : मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह के कार्य सूची में शामिल किया जाए:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के अंतर्गत मुसाबनी सुरदा स्थित केन्द्रीय विद्यालय का भवन काफी पुराना एवं जर्जर अवस्था में है। यहां के बच्चों को दूसरी जगह पर पढ़ाया जा रहा है। नए भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के बावजूद केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक पैसा नहीं देने के कारण नए भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूॅं कि राज्य सरकार को अविलंब राशि उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ, जमशेदपुर के अंतर्गत पटमदा, पोटका प्रखण्ड में केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय की स्थापना कराई जाए।

2. बड़ागोविन्दपुर से छोटागोविन्दपुर के बीच बारिगोड़ा एवं गधड़ा के बीच तथा आसनबनी स्टेशन के केबिन के पासएक आर.ओ.बी. (रेलवे ओवरब्रिज) का निर्माण किया जाए तथा जुगसलाई ओवरब्रिज का काम अविलंब पूरा किया जाए।

---

[*] Laid on the Table.

*SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): I would like to request that Landmark 2030 agenda for Sustainable Development Goals to compact inequality and creating sustained inclusive and sustainable growth may kindly be discussed in the House.

The Ministry of Railways which has spelt out its policy with regard to running of High Speed and Semi High Speed trains by identification of potential routes for both kinds of train services may kindly be discussed in the House.

* Laid on the Table.

***श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) :** सप्ताह के अगले कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ने की कृपा की जाएः-

1. " गिरीडीह से कोडरमा रेल लाईन (धनबाद) मण्डल के लंबित रेल मार्ग परियोजना को गिरिडीह से कोआढ़ ते अविलम्ब जोड़ने और परियोजना का कार्य अविलंब पूरा कराने की आवश्यकता ।"

2. " पारसनाथ-मधुबन रेल लाईन को जैन तीर्थ स्थल के महता, महान पर्यटक और ऐतिहासिक स्थल के आधार पर परियोजना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर चालू वित्त वर्ष में पूरा करने की आवश्यकता ।"

* Laid on the Table.

[*]श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): अनुरोध है कि मेरे निम्नलिखित वक्तव्यों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में जोड़े जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

1. कानपुर एवं समीपवर्ती जनपदों में गन्ने की खेती की प्रचुर संभावना के मद्देनजर बन्द पड़ी घाटमपुर चीनी मिल को पुनर्जीवित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

2. जनपद कानपुर नगर में बंद पड़ी एन0टी0सी0 और बी0आई0सी0 की बन्द पड़ी मिलों को चालू कराये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है ।

---

[*] Laid on the Table.

<u>12.04 hours</u>

*MOTION RE: REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (SECOND AMENDMENT) BILL, 2015 -- EXTENSION OF TIME

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदया, निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ :-

> "कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय शीतकालीन सत्र, 2016 के अंतिम दिवस तक बढ़ाती है।"

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do extend time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Second Amendment) Bill, 2015 upto the last day of the Winter Session, 2016."

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

---

* Memorandum giving reasons for extension of time circulated separately.

12.05 hours

OBSERVATION BY THE SPEAKER

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण। मुझे श्री उदय प्रताप सिंह, श्री कौशलेन्द्र कुमार, डॉ. बूरा नरसैय्या गौड, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री राजेश रंजन, श्री के.सी.वेणुगोपाल, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री तारिक अनवर एवं श्री ए. अनवर राजा से विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए आज के कार्य में व्यवधान डालना अनिवार्य नहीं है। ये मामले अन्य अवसरों पर उठाने के लिए दिए जाएँगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप थोड़ा सा तो शांत रहिए। ये क्या हो रहा है? ऐसे में मैं कुछ नहीं सुन पाऊँगी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have received notices of question of privilege, dated 22nd July, 2016 from Sarvashri Prem Singh Chandumajra, Nishikant Dubey, Prahlad Singh Patel, Ram Charitra Nishad, Janardan Singh Sigriwal, Rajendra Agrawal, Maheish Girri, Om Birla, Sudhir Gupta, Rakesh Singh, Sushil Kumar Singh, Prof. Chintamani Malviya, Dr. Kirit Somaiya, Dr. Ravindra Kumar Ray, Dr. Sanjay Jaiswal and Dr. Udit Raj, MPs against Shri Bhagwant Mann, MP for unauthorisedly bringing the security arrangements of Parliament House complex in public and conducting himself in a manner unbecoming of a Member.

Further, I have also received a complaint dated 22nd July, 2016 under Rule 334A of the Rules of Procedure and Conduct of Business from Shri Bhartruhari Mahtab, MP against Shri Bhagwant Mann, MP. I have also received notices of Adjournment Motion from Sarvashri Uday Pratap Singh, Bhartruhari Mahtab and Rajesh Ranjan on the subject.

Sarvashri Chandrakant Khaire, Anandrao Adsul and Dr. Srikant Eknath Shinde have sought to raise the issue immediately after suspending the Question Hour.

But the matters are under my consideration and I will take a decision in the matter.

मैं मानती हूँ क्योंकि पार्लियामैंट की सिक्यूरिटी के लिए 13 लोगों ने जान गँवाई है। मामला गंभीर है और मैं मानती हूँ कि इस पर कोई न कोई कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। मैं इस सब मामले में सोचूँगी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। सब लोग क्या करेंगे?

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will see it. I told you. Shri Bhartruhari Mahtab, what do you want to say?

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I am referring to the Direction of the Speaker 124A and also to the Rule 334A of the Rules of Procedure and Conduct of Business.

We are all aware and we were witness to that incident of 13th December, 2001 when terrorists had attacked the temple of democracy and 13 people had laid down their lives. It is not a matter of ethical conduct of a Member. It is not only a matter of privilege. My request would be that a separate Committee be formed because the terrorists had come to the door of the temple of democracy and they were not aware how to enter into the building. That is why they attacked the door of Rajya Sabha. At that time, Shrimati Sonia Gandhi was so perturbed – she was not inside this House – that she telephoned the Prime Minister Atal ji to find out what has happened inside. So, that was the kind of concern that was shown. The whole nation was perturbed about it. After that a Security Committee was

constituted. It went round different Parliaments of the world, and that is how the security aspect has come in. It is a very serious matter. My only concern here is this. It is not ignorance; it is not foolishness either; it is obduracy. Therefore, my request would be that a separate Committee may be formed. I leave it to your judgement as it is not a matter of Ethics Committee, it is not a matter of Privileges Committee. … (*Interruptions*)

श्री आर.के.सिंह (आरा) : मैडम स्पीकर, भगवंत मान जी कह रहे हैं कि वे पुनः वह कार्रवाई करेंगे, वे दुबारा करेंगे वीडियोग्राफी।

मैडम, मेरा मानना है, जबकि ये कह रहे हैं कि वे पुनः वही कार्रवाई करेंगे, पुनः सिक्यूरिटी को ज्योपार्डी में डालेंगे तो उनको तत्काल निलंबित किया जाए। उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, महताब जी ने जो उठाया, रियली यह बहुत गंभीर मामला है। सारे सदन को एक होकर इसे कंडेम्न करना चाहिए क्योंकि यह देश की सिक्यूरिटी का मामला है। 125 करोड़ जनता को रिप्रेज़ेंट करने वाले लोग, जो यहां पर बैठे रहते हैं, उनकी सुरक्षा का भी प्रश्न है और देश का भी प्रश्न है। इसीलिए, जैसा कि उन्होंने कहा, इससे पहले जो टेररिस्ट अटैक इसके ऊपर हुए तो उन्हें मालूम नहीं था कि किस रास्ते से आना, कैसे आना, किस ढंग से जाना है। लेकिन, हमारे ही लोग, अगर हम ही ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा और ऐसी हरकतें करने से देश को भी नुकसान होगा और डेमोक्रेसी को भी नुकसान होगा और कल कोई नहीं बचेगा।...(व्यवधान) इसीलिए, जो उन्होंने किया है उसे हम कंडेम्न करते हैं।...(व्यवधान) आपको एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए।...(व्यवधान)

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): On behalf of the AIADMK, I would like to say a few words on this issue. We maintain the dignity and decorum of the hon. House. You are the custodian of the House. You may kindly look into the matter and take necessary action as you deem fit, Madam. … (*Interruptions*)

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): मैडम, मैं इसका विटनेस हूं जब 13 दिसम्बर, 2001 को इस पार्लियामेंट रूपी मन्दिर पर अटैक हुआ था और हमारे तेरह सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान गंवाई और वे शहीद हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमने जो रूल्स बनाए, उसकी धज्जियां उड़ाने का काम मान, जो अपने यहां के सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं, उन्होंने इसे किया है। यहां तक कि वह रिपीटेडली बोल रहा है कि यह मैं

करता रहूंगा।...(व्यवधान) अगर उसे जल्दी से जल्दी, आज के आज अगर बर्खास्त करें, यह हमारे सब सदस्यों का आग्रह है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, थोड़ा शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं बोल रही हूं कि हम कुछ करेंगे। I am taking it seriously.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : चन्दूमाजरा जी, मैं सब की बात समझ रही हूं। मगर, शोर में कुछ नहीं होता।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चन्दूमाजरा जी।

...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : मैडम स्पीकर, मैंने जो प्रिविलेज मोशन दिया है, मुझे इस बात का दुःख है कि मैंने जिस ऑनरेबल मेम्बर के विरोध में दिया है, वे मेरे प्रदेश से हैं, मेरी कम्युनिटी से हैं।...(व्यवधान) मगर, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के मामले में और संसद की प्रेस्टीज के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता।...(व्यवधान) जैसे संसद की सीक्रेसी इन्होंने आउट की है, उसकी इनवेस्टिगेशन होनी चाहिए। ...(व्यवधान) इसके पीछे किसका हाथ है और क्या उद्देश्य था इसका? ...(व्यवधान) क्या जानना चाहते थे? ...(व्यवधान) इसकी जांच होनी चाहिए। ...(व्यवधान) इनको सस्पेंड करिए। ...(व्यवधान) हाउस में इनकी इंट्री बैन होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again on Monday, 25th July, 2016 at 11.00 a.m.

12.14 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 25, 2016/Shravana 3, 1938 (Saka).